



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021  
अग्रहायण 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 47/2021/1322/सात-न्याय-2-2021-201जी-95  
लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-433

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पेटी अफेन्सेस (ट्रायल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उपनियम (दो) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर सरकारी अधिसूचना संख्या 11/2020/810-सात-न्याय-2-2020-201जी-95, दिनांक 12 जून, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में अनुसूची के क्रम-संख्या 02 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी:

अनुसूची

क्रम संख्या	नाम, पता और जन्मतिथि	जिला का नाम
1	2	3
02	श्री चतर सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर। पत्राचार का पता-सी-37, अशोक नगर गाजियाबाद। स्थायी पता- सी-37, अशोक नगर, गाजियाबाद। (15/09/59)	गाजियाबाद

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 47/2021/1322/VII-Nyay-2-2021-201 G-95, dated December 17, 2021 :

No. 47/2021/1322/VII-Nyay-2-2021-201 G-95

*Dated Lucknow, December 17, 2021*

IN exercise of the powers under section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and sub-rule (ii) of rule 4 of the Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following amendment in Government notification no. 11/2020/810/VII-Nyay-2-2020-201G-95, dated June 12, 2020:

#### AMENDMENT

In the aforesaid Notification, in the Schedule for the entries at serial no. 02, the following entries shall column-wise be *substituted*, namely:

#### SCHEDULE

Sl. no.	Name address and Date of Birth	Name of district
1	2	3
02	Sri Chater Singh, S/O Sri Tejpal Singh Retired as Chief Administrative Officer, District Court, Gautam Budha Nagar Correspondence Address: C-37, Ashok Nagar, Ghaziabad Permanent Address: C-37, Ashok Nagar, Ghaziabad. (15/09/59)	Ghaziabad

By order,

PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,

*Pramukh Sachiv.*